


उभयपक्षा का 310 पत्र 07 RII ब धारा 151 C-P.C.
 पर बटस खुनी गयी। वास्ते पठावली 310 पत्र 07 RII
 ब धारा 151 C-P.C. के आडिसा हेतु नियत दिनांक 24-2-23
 को पेश हो।

24/2/23 पत्रपत्ती पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपशुक्ल
 पार्थी सं० के द्वारा आदेश 7 नियम 11 ब धारा 151 C-P.C.
 के प्राप्ति पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन
 किया कि अप्रार्थीगण के द्वारा वाद जिस आदेशी का
 पेश किया है वह आवसी भूमि है। पार्थी (प्रतिवादी सं०)
 का वाद वर्गीत भूमि पर कब्जा है यह भूमि सामंजसिक
 नहीं है ऐसी स्थिति में उक्त वाद इस न्यायालय के
 श्रवणाधिकार का नहीं होने से लारीज प्रामाया जावे।
 अतः प्राप्ति पत्र स्विकार प्रामाया जावे। बटस में
 वकील अप्रार्थीगण (वादगण) ने निवेदन किया कि
 वाद वर्गीत भूमि जांवा है तथा राजस्व रिकॉर्ड में भूमि
 भूमि होकर सरकारी है जिस पर पार्थी (प्रतिवादी सं०)
 दुकाबो का निमाण करवा रखा है जिसे रोकें जाने
 हेतु यह वाद पेश किया है जिसे सुनने का अधिकार
 न्यायालय क्षीमाल को है। अतः प्राप्ति पत्र लारीज
 प्रामाया जावे।


 उपखण्ड अधिकारी
 मंडल जिला भीलवाड़ा

स्थिति
सूचना

दस्तावेज या कार्यवाही मध्य दिनांक/दिनांक

हमने उपायपत्र के अधिवक्ताओं एवं पंचायत
सदस्यों के माध्यम से वृहत्समुदाय एक पंचायत
में सुदूर राजस्व रिपोर्ट व 0.78.11 व-या-1
151CPC के अधिनियम में वर्णित तथ्यों का अधिनियम
किया गया। नकल जमावन्दी संवत् 2076 से 2083
ग्राम पंचायतों का खेड़ा खाता सं 522 में नो. नं.
12522 कवा 2.2258 हेक्टर किसिम गोमुख नामान्तर्गत
सं 1392 दि 2-11-22 से आवेदी हेतु आवेदित
होने से जमावन्दी में ग्राम पंचायत के नाम पर
आवेदी से दर्ज है। आवेदी अधिनियम सुनवाई का
अधिनियम राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल
न्यायालय को है। अतः अधिनियम अधिनियम
11 व-या-151CPC स्वीकार करते हुए आवेदीगण
का वाद त्वारीज किया जाता है। पंचायत
आवेदी है। पंचायत पंचायत शुमार होकर नंबर से
कम है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला मालवाड़ा

(आ० 20 नियम 6 / जा०दी०)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान
वईजलास श्री हुंफरीचंद्र शैलानिया (आ०१०१०१०)

डिक्री

अनवान प्रकरण

- स्मरत ग्रामवासीयान काजवो का खेड़ा तहसील माण्डल जिला
- ① मणूसिंह १/० श्री रामसिंह रावपूत
 - ② कीपकसिंह १/० श्री संगम सिंह रावपूत
 - ③ श्री दशरथ सिंह १/० श्री हीतर सिंह रावपूत
 - ④ श्री शंकर १/० श्री भारायण कुमावत
 - ⑤ मणूलाल १/० श्री बरदा कुमावत
 - ⑥ रामप्रसाद १/० श्री पौकर कुमावत
 - ⑦ वीरलाल १/० श्री रामलाल कुमावत
 - ⑧ पूरणमल १/० श्री सोहन कुमावत
 - ⑨ लक्ष्मणलाल १/० श्री पेशर कुमावत
 - ⑩ हीतरसिंह १/० श्री वापूसिंह कुमावत
 - ⑪ पुस्कराज १/० श्री नन्दा कुमावत
 - ⑫ पौरवरलाल १/० श्री तुलछा कुमावत - सर्व निवासियान ग्राम काजवो का खेड़ा तहसील माण्डल जिला

बनाम

- 1. श्री शंकरसिंह १/० श्री लक्ष्मणसिंह चूषावत निवासी - काजवो का खेड़ा ग्राम पंचायत केरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज.)
- 2. राजस्थान राज्य जिरिए तहसीलदार सा० माण्डल तहसील माण्डल
- 3. ग्राम पंचायत केरिया पं० सं० माण्डल जिरिए वरसपंच ग्राम पंचायत केरिया पं० सं० माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 188 R.T.I मुकदमा नं० 36/22 / 24/08/23
 यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी
 मिनजानिव मुददई व श्री श्री रामलाल कुमावत A-1 के मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म
 दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं० 01 द्वारा प्रस्तुत
 प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 बधारा 151 C.P.C स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद पत्र श्वारीज किया जाता है।

आज तारीख 24-08-23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
 माण्डल जिला भीलवाड़ा